भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधि कार्य विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं 3259
जिसका उत्तर शुक्रवार, 17 दिसम्बर, 2021 को दिया जाना है

## भारतीय विधिक सेवा

**3259. श्री अदला प्रभाकर रेड्डी :**

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय विधिक सेवा (आईएलएस) संवर्ग में स्वीकृत पदों में से लगभग 53 प्रतिशत पद रिक्त हैं और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में संबंधित एजेंसियों जैसे डीओपीटी, यूपीएससी और एसएससी के साथ परामर्श किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार द्वारा इन रिक्तियों को समयबद्ध तरीके से भरने में तेजी लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

**उत्तर**

**विधि और न्याय मंत्री**
**( श्री किरेन रीजीजू )**

**(क) से (ग) :** वर्तमान में भारतीय विधिक सेवा संवर्ग में 157 में से लगभग 65 पद रिक्त हैं, जो भारतीय विधिक सेवा संवर्ग के कुल संवर्ग संख्या का 41% है। इन रिक्तियों में से प्रोन्नति कोटा के अधीन आने वाली रिक्तियों को भरने के लिए डीपीसी प्रस्तावों को यूपीएससी के पास भेजी जा रही है, जो नियुक्तियों की सिफारिश करने के लिए नोडल प्राधिकरण है। शीघ्रतापूर्वक इन रिक्तियों को तीव्रता से भरने के लिए नियमित आधार पर आवश्यक कदम उठाए जाते हैं।

************